न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर जिला हनुमानगढ़(राज.)

पीठासीन अधिकारी– चंचल वर्मा आर.ए.एस.

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या–07 / 2019

1. शिशपाल पुत्र नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–अपीलान्ट

बनाम

1. रोशनी पत्नी रमेशकुमार जाति जाट साकिन सोतीबड़ी तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–असल रेस्पोडेन्टस

2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज)

–रेस्पोडेन्टस

3. यशोदा पुत्री नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
4. देवकी पुत्री नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
5. सुनील पुत्र नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
6. कौशल्या पुत्री नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
7. श्यामगीर पुत्र बादलगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
8. राजप पुत्र सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।
9. राजेन्द्र पुत्र सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
10. भीम पुत्र सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
11. इन्द्रा पुत्री सीतादेवी जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
12. भगवानीदेवी पत्नी सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
13. सन्तोष पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
14. मीरा पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।

16/2/23

अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

15. सुरेन्द्र पुत्र सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
16. लिलावती पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
17. कृष्णा पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा।
18. कंचन पुत्री सीतागीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)।

–तरतिबी रेस्पोडेन्टस

उपस्थितः– श्री हवासिंह पूनियां अधिवक्ता अपीलांट।
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1

निर्णय दिनांक–16.02.2023

अपीलांट शिशपाल पुत्र नन्दगीर जाति गोंसाई साकिन छानीबड़ी तहसील भादरा निर्णय उपतहसीलदार (राजस्व) छानीबड़ी दिनांक 01.07.2015 जिसमें इंतकाल संख्या 614 चक नं. 5 सी. एच. एन. तस्दीक किया गया को निरस्त करवाने बाबत् अपील प्रस्तुत की है, जिसके संक्षेप में तथ्य निम्न प्रकार है–

1. यह कि अपील कृत निर्णय विधि विरूद्ध तथ्यों के विपरित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है। नकल इंतकाल संख्या 614 संलग्न अपील है।
2. यह कि संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा चक न. 5 सी. एच. एन. तहसील भादरा के मु.नं. 53 कि.न. 6, 7, 14 ता 17, 24, 25 मु.न. 54 कि. न. 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 मु.न. 64 कि.न. 5 कुल 24 बिघा भुमि का बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर कोम गोंसाई खातेदार काश्तकार था, जिसका देहांन्त हो गया जिसके जायज वारिस रेस्पोडेन्ट नं. 7 एवं मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण एवं सीतादेवी, बिमलादेवी पुत्रीयान कुल 8 वारिस हुए थे।

यह कि बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर कोम गोंसाई का देहान्त हो गया जिसके जायज वारिस रेस्पोडेन्ट न. 7 एवं मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण एवं सीतादेवी, बिमलादेवी पुत्रीयान कुल 8 वारीस हुए लेकिन बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर के फौत होने पर मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, पुत्रगण एवं बिमलादेवी पुत्री ने साजिशाना कार्यवाही करते हुए विधि विरूद्ध तरीके से अपने नाम विरास्तन इंतकाल संख्या 171 दिनांक 20.05.1995 को कानून की स्पष्ट अवहेलना कर रेस्पोडेन्ट नं. 2 द्वारा आदेश पारित करवाकर उपतहसीलदार छानीबड़ी से अपने पक्ष में तस्दीक करवा लिया

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

जबकि बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर के कुल 8 वारिस थे इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तो के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

4. यह कि मणीदेवी पत्नी बादलगीर फोत हो चुकी है जिसके वारीस रेस्पोडेन्ट न. 7 एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण एवं सीतादेवी, बिमलादेवी पुत्रीयान हुए एवं नत्थूगिर, नन्दगिर, सीतागिर पुत्रगण बादलगीर एवं सीतादेवी पुत्री बादलगीर फौत हो चुके है। नत्थूगिर के जायज वारिस सुमित्रा पत्नी, गीता पुत्री, नरेन्द्र पुत्र ही हैं। नन्दगिर के जायज वारिस अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 6 ही है। सीतागिर के जायज वारिस रेस्पोडेन्ट नं. 12 ता 18 ही है एवं सीतादेवी के जायज वारिस रेस्पोडेन्ट न. 8 ता 11 ही है।

5. यह कि मातहत अदालत ने निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 18 को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया ना ही इंतकाल दर्ज करने से पूर्व विवादित भूमि के कब्जा संम्बधी जांच की ना ही बादलगीर के वारिसान बाबत सही जांच की यदि सही जांच कर पत्रावली का निर्णय किया जाता तो बादलगीर के 8 वारिस 1/8– 1/8 हिस्सा के हकदार होते एवं इस प्रकार का निर्णय करने की आवश्यकता नहीं होती इसलिए मातहत अदालत का निर्णय विधि के मान्य सिद्वान्तों के खिलाफ होने कि वजह से निरस्त योग्य है।

6. यह कि मातहत अदालत को निर्णय पारित करने से पूर्व वारिसान बाबत् ग्रामवासियो से सही जांच कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था जबकि पत्रावली पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है जो मातहत अदालत ने एक अहम भूल की है जिस कारण भी मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

7. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्वैच्छाचारी, मनमाना, एकपक्षीय एवं कानून सम्मत नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए निरस्त योग्य है ।

8. यह कि मातहत अदालत का निर्णय स्पीकिंग आर्डर नहीं है जो निर्णय कि परिभाषा में नहीं आता है इसलिए मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है ।

9. यह कि फर्जी व कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर पत्नी मणीदेवी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, पुत्रगण एवं बिमलादेवी पुत्री ने भूमि अपने नाम दर्ज करवाई जबकि बादलगीर के 8 वारिस एवं हकदार हैं राजस्व रिकार्ड में भूमि नाम दर्ज नहीं होने के कारण जिससे अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 18 के खातेदारी हकूक का हनन् होता है इसलिये मातहत अदालत का निर्णय निरस्त योग्य है।

10. यह कि बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर के फौत होने पर मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, पुत्रगण एवं बिमलादेवी पुत्री ने साजिशाना तरीके से विवादित भूमि अपने अकेलो के नाम गुपचुप तरिके से उपतहसीलदार (राजस्व) छानीबड़ी से मिलकर दिनांक 20.05.1995 को इंतकाल संख्या 171 चक न. 5 सी. एच. एन. तस्दीक करवा लिया गया एवं गलत अंकन के आधार पर बिमलादेवी पुत्री

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

बादलगीर ने जरिये बैयनामा दिनांक 17.09.2014 को रेस्पोडेन्ट नं. 1 को भूमि बैय कर दी एवं उसके आधार पर इंतकाल नं. 614 दर्ज कर दिया गया जो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 18 के हकूक के मुकाबले जन्मजात शुन्य एवं प्रभावहीन है इससे रेस्पोडेन्ट न. 1 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है इंतकाल संख्या 171 दिनांक 20.05.1995 को निरस्त करवाने बाबत अलग से अपील पेश कर रखी है चुंकि आगे कानूनी अड़चन ना आये इसलिए यह अपील प्रस्तुत की जा रही है।

11. यह कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 18 अपने हक व हिस्सा की भूमि को लगातार कास्त करते आ रहे हैं लेकिन अनपढ़ ग्रामीण व्यक्ति है जिसे कानूनी जानकारी नहीं है ना ही रिकार्ड को देखा अब बिमलादेवी पुत्री बादलगीर ने ऐलानिया कहा कि हमने जमीन विरास्तन अपने नाम दर्ज करवा कर कुछ भूमि आगे बैच दी है तब पटवारी हल्का से जमाबन्दी देखी तो रिकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने की जानकारी प्राप्त हुई जानकारी होते ही हल्का पटवारी से इतंकाल की नकल दिनांक 28.02.2019 को प्राप्त की तब विधि विरूद्ध इंतकाल के दर्ज होने की जानकारी हुई जानकारी होते ही वकील के मेंहन्ताना की व्यवस्था कर वकील से सम्पर्क किया एवं तुरन्त अपील पेश की जा रही है जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।
12. यह कि रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 18 वर वक्त दायरी अपील हाजिर नहीं होने के कारण तरतिबी रेस्पोडेन्टस बनाया गया है वे जब चाहें अपीलान्टस बन सकते है।
13. यह कि अपील अदालत के क्षेत्राधिकार निर्धारित कोर्ट फीस पर पेश व ज्ञान से अन्दर मियाद है।
14. यह कि अन्य कानून एवं तथ्यों सम्बन्धित वर वक्त बहस अर्ज किया जावेगा।

लिहाजा अपील अपीलान्ट पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार कर इंतकाल संख्या 614 चक न. 5 सी. एच. एन. तहसील भादरा दिनांक 01.07.2015 निरस्त करने का आदेश फरमावे।

अपील पेश होनें पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से श्री नरेन्द्र किशोर जोशी एडवोकेट उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 नोटिस बाद तामिल प्राप्त। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि बादलगीर पुत्र चेला उदयगिर के फौत होने पर मणीदेवी पत्नी एवं लक्ष्मणगिर उर्फ मनीगिर, नत्थूगिर, पुत्रगण एवं बिमलादेवी पुत्री ने साजिशाना तरीके से विवादित भूमि अपने अकेलो के नाम गुपचुप तरिके से उपतहसीलदार (राजस्व) छानीबड़ी से मिलकर दिनांक 20.05.1995 को इंतकाल संख्या 171 चक न. 5 सी. एच. एन. तस्दीक करवा लिया गया एवं गलत अंकन के आधार पर बिमलादेवी पुत्री बादलगीर ने जरिये बैयनामा दिनांक 17.09.2014 को

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

रेस्पोडेन्ट नं. 1 को भूमि बैय कर दी एवं उसके आधार पर नामान्तरण नं. 614 दर्ज कर दिया गया जो अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट न. 3 ता 18 के हकूक के मुकाबले जन्मजात शुन्य एवं प्रभावहीन है इससे रेस्पोडेन्ट न. 1 को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं होते है इंतकाल संख्या 171 दिनांक 20.05.1995 को निरस्त करवाने बाबत अलग से अपील न्यायालय हाजा में पेश कर रखी है।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि बिमलादेवी पुत्री बादलगीर ने दिनांक 17.09.2014 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को भूमि को बैयनामा करवाया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 नाम उसी बैयनामा के आधार पर नामान्तरण संख्या 614 दर्ज हुआ है। पहले यह तय हो कि वारिसान है या नहीं उसके बाद नामान्तरण संख्या 614 को चुनौती दे एंव तभी उक्त नामान्तरण के विरूद्ध अपील पेश करें। दिनांक 17.09.2014 को किया गया बैयनामा रजिस्टर्ड है। अपीलांट लालचवश नामान्तरण संख्या 614 को खारिज करवाने बाबत अपील पेश की है। प्रस्तुत अपील म्याद बाहर है। उपतहसीलदार राजस्व छानीबड़ी द्वारा नामान्तरण संख्या 614 दिनांक 01.07.2015 को तस्दीक किया गया जो बैयनामा के आधार पर है उससे अलग नही है। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र धारा–5 म्याद अधिनिमय प्रस्तुत किया। अतः अपील खारिज की फरमाई जावे।

हमनें अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की तलबशुदा रिकार्ड का अध्ययन किया एंव न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में दिनांक 20.05.1995 को भरे गये नामान्तरण संख्या 171 व उसी आधार पर दिनांक 01.07.2015 में भरे गए नामान्तरण संख्या 614 पर प्रश्नचिन्ह् कारित किया गया है एंव नामान्तरण संख्या 171 में वारिसान की प्रविष्ट है। साथ ही सुनी जा रही अन्य पत्रावली में नामान्तरण संख्या 171 पर प्रश्न चिन्ह् है। नामान्तरण संख्या 614 बैयनामा के आधार पर भरा गया है। दोनों पक्षों के वारिसान संबधी बहुत से दस्तावेज प्रस्तुत किए गये है परन्तु वारिसान संबधी दस्तावेजों में एकरूपता का अभाव है। यह एकरूपता क्यों नहीं है, इस बिन्दु पर किसी पक्षकार द्वारा कोई भी कथन प्रस्तुत नहीं किया है और न ही कोई तथ्य पेश किया है। इस अपील में नामान्तरण को प्रश्नगत करनें के स्थान पर वल्दियत पर प्रश्नचिन्ह् है जिसका निर्धारण किया जाना है। जहां तक नामान्तरण का प्रश्न है, 25 वर्ष पश्चात अपील पेश किया जाना सन्देहास्पद प्रतीत होता है। अपीलांट बादलगिर के वारिसान है या नहीं, यह भी सिद्ध नहीं होता है। अपीलांट पहले अपनी वल्दियत एंव हक अधिकार का निर्धारण दावे से सक्षम न्यायालय में करवाए। जब तक नामान्तरण संख्या 171 पर निर्णय नहीं होता तब तक नामान्तरण संख्या 171 के आधार पर भरे गये नामान्तरण संख्या 614 पर निर्णय दिया जाना न्यायसंगत नहीं है। इस स्तर पर यह अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। अतः अपील खारिज की जाती है।

16/2/23
अतिरिक्त जिला कलक्टर
नोहर (हनुमानगढ़)

अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति संलग्न कर लौटाया जावें। पत्रावली फैसलाशुमार होकर नंबर से की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखा जाकर दिनांक 16.02.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16/2/23

(चंचल वर्मा R.A.S.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
नोहर (हनुमानगढ़)